

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009  
(2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा  
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ।

(2) यह 4 नवम्बर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 का 22 2009 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान

धारा 41 का  
संशोधन।

पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

शिमला-171004.

शिमला: 30-4-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

शिमला-171002.

शिमला: 28-4-2013

श्री. ज. बी. शर्मा

अध्यक्ष ।  
अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश  
विधान सभा, शिमला

श्री. ज. बी. शर्मा

सदस्य ।

हिमाचल प्रदेश

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 11 OF 2013

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT  
AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.


Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4<sup>th</sup> day of November, 2009.

2. In section 41 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009, in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

Amendment of section 41.

मैं, "मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 11)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश  
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 11)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग मानू सिंह  
सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।